जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2024/डी– दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 201वीं बैठक दिनांक 17.10.2024 को प्रातः 10:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण **परिशिष्ठ 'अ'** पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	201:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 200वीं बैठक दिनांक 19.09.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 200वीं बैठक दिनांक 19.09.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	6	201:2	लोहामण्डी योजना के फेज–I दुकान नम्बर 19 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	लोहामण्डी योजना के फेज–I दुकान नम्बर 19 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को लोहा मण्डी के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 19 क्षेत्रफल 13.5 व.मी. संशोधित मानचित्र से भूखण्ड का क्षेत्रफल 7.87 व.मी. ही रह जाने के कारण समतुल्य सममूल्य के आधार पर इसी योजना के भूखण्ड संख्या 28, 29 एवं 36 में से कोई एक भूखण्ड प्रार्थी की उपस्थिति में लॉटरी के द्वारा विनिमय में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	9	201:3	कार्यालय सहायक अभियंता (सुधार षष्ठम्) जयपुर डिस्कॉम को 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु निजी खातेदारी योजना गोल्डन पार्क (अतिशय विहार) में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 754.33 वर्ग गज (630.71 व.मी.)	कार्यालय सहायक अभियंता (सुधार षष्ठम्) जयपुर डिस्कॉम को 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु निजी खातेदारी योजना गोल्डन पार्क (अतिशय विहार) में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 754.33 वर्ग गज (630.71 व.मी.) का आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्गए जयपुर 302004
दूरभाष 91.0141.2570122 ईपीबीएक्स 910141.2569696 एक्सटेंशन
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in}

Signature valid
Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.19 13:47:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11264259

			का आवंटन करने बाबत्।	जोन प्रस्तावानुसार कार्यालय सहायक अभियंता (सुधार षष्ठम्) जयपुर डिस्कॉम को 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु 630.71 व.मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।
4.	9	201:4	जविप्रा कर्मचारी आवासीय योजना खूसर के भूखण्ड संख्या बी–7 कॉर्नर क्षेत्रफल 162.00 के बढे हुए क्षेत्रफल 85.65 व.मी. के आवंटन बाबत्।	जविप्रा कर्मचारी आवासीय योजना खूसर के भूखण्ड संख्या बी–7 कॉर्नर क्षेत्रफल 162.00 के बढे हुए क्षेत्रफल 85.65 व.मी. के आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 193वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 के निर्णय (बढे हुए क्षेत्रफल के वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी दर पर आवंटन) को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया।
5.	11	201:5	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या ई–81 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर 55.50 वर्गमीटर होने से बढे हुए क्षेत्रफल 10.50 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत्।	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या ई–81 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर 55.50 वर्गमीटर होने से बढे हुए क्षेत्रफल 10.50 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 10.50 व.मी. को आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	11	201:6	सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालड़ी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 979 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत्।	सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालड़ी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 979 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि मौका निरीक्षण करें। कोस मीनार की अवस्थिति को देखकर आवेदक का इस मीनार से प्रभावित होने का विश्लेषण करें तथा लॉटरी में उपलब्ध वैकल्पिक भूखण्डों को भी चिन्हित करते हुए

Signature valid

Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.19 1[illegible]:47:41 IST
Reason: Approved

				मीनार की स्थिति के संबंध में वांछित प्लॉनिंग कर सम्पूर्ण तथ्यों की स्थिति का आंकलन करते हुए प्रस्ताव आगामी एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत करें।
7.	11	201:7	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी. जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या ई–64 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 45 व.मी. का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 व.मी. के स्थान पर 55.50 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 10.50 व.मी. को आवंटन करने बाबत्।	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या ई–64 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 45 व.मी. का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 व.मी. के स्थान पर 55.50 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 10.50 व.मी. को आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 10.50 व.मी. को आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8.	11	201:8	डुकिया पैट्रोल पम्प के पीछे, मदरामपुरा बालाजी मन्दिर के पास, डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर क्षेत्र में जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 271 किस्म चाही 1/जाव 1 रकबा 0.15 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर (1000 व.मी.) भूमि 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. की स्थापना हेतु आवंटन करने बाबत्।	डुकिया पैट्रोल पम्प के पीछे, मदरापुरा बालाजी मन्दिर के पास, डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर क्षेत्र में जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 271 किस्म चाही 1/जाव 1 रकबा 0.15 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर (1000 व.मी.) भूमि 33/11 के. वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. की स्थापना हेतु आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 271 किस्म चाही 1/जाव 1 रकबा 0.15 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर (1000 व.मी.) भूमि 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।
9.	12	201:9	निजी खातेदारी की आवासीय योजना यदुराम कैम्पस में स्थित जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 1660 में से 306.15 व.	निजी खातेदारी की आवासीय योजना यदुराम कैम्पस में स्थित जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 1660 में से 306.15 व.मी. भूमि को योजना में सृजित निजी खातेदारी

Signature valid

Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.19 13:47:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11264259

			मी. भूमि को योजना में सृजित निजी खातेदारी के भूखण्ड संख्या एस–1 क्षेत्रफल 306.15 व. मी. से विनिमय करने बाबत्।	के भूखण्ड संख्या एस–1 क्षेत्रफल 306.15 व.मी. से विनिमय करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर प्रस्ताव अनुसार विनिमय पर स्वीकृति का निर्णय लिया गया। जोन उपायुक्त को निर्देशित किया कि जविप्रा की भूमि जो विनिमय में प्राप्त हो रही है, उसकी नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने पर एलपीसी की बैठक में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण अन्तिम रूप से समाप्त किया जावेगा।
10.	12	201:10	राजस्व ग्राम चम्पापुरा तहसील कालवाड़ के खसरा नं. 91/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि पहुँच मार्ग हेतु जयपुर कालवाड़ रोड़ के प्लांटेशन कॉरीडोर क` जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 161/1 रकबा 2.9972 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 465.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत्।	राजस्व ग्राम चम्पापुरा तहसील कालवाड़ के खसरा नं. 91/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि पहुँच मार्ग हेतु जयपुर कालवाड़ रोड़ के प्लांटेशन कॉरीडोर के जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 161/1 रकबा 2.9972 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 465.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रकरण भूमि आवंटन से संबंधित नहीं है। इसलिए एलपीसी से एजेण्डा हटाया जाता है। साथ ही उपायुक्त जोन–12 व अन्य समस्त उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के प्रस्तावों पर जविप्रा की आस–पास की भूमि को शामिल करते हुए पूर्ण प्लानिंग करते हुए ही प्रकरणों को स्वीकृति हेतु पी.डब्ल्यू.सी./बी.पी.सी. (एलपी) की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।
11.	14	201:11	जविप्रा की रिंग रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/IG/S/36 क्षेत्रफल 12.50 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	जविप्रा की रिंग रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/IG/S/36 क्षेत्रफल 12.50 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन–14 एवं रिंग रोड से प्रभावित अन्य जोन भी अपने स्तर पर दोहरा आवंटन अथवा आवंटन से वंचित प्रकरणों

Signature valid

Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.19 18:47:41 IST
Reason: Approved

				की जाँच करते हुए इनकी सूचना तैयार करें। आवश्यकतानुसार सार्वजनिक विज्ञप्ति भी जारी की जावे। इस एक्सरसाईज में अवाप्ति व मूल आवंटन पत्रावलियों का भी अध्ययन करते हुए रिक्त भूखण्डों की उपलब्धता का पूर्ण आंकलन कर वास्तविक रूप से वंचित/दोहरे आवंटनों में नियमानुसार भूखण्ड दिये जाने का प्रस्ताव तैयार कर जोनवार प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत करें।
12.	14	201:12	जविप्रा की रिंग रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/IG/S/47 क्षेत्रफल 12.50 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	जविप्रा की रिंग रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/IG/S/47 क्षेत्रफल 12.50 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन–14 एवं रिंग रोड से प्रभावित अन्य जोन भी अपने स्तर पर दोहरा आवंटन अथवा आवंटन से वंचित प्रकरणों की जाँच करते हुए इनकी सूचना तैयार करें। आवश्यकतानुसार सार्वजनिक विज्ञप्ति भी जारी की जावे। इस एक्सरसाईज में अवाप्ति व मूल आवंटन पत्रावलियों का भी अध्ययन करते हुए रिक्त भूखण्डों की उपलब्धता का पूर्ण आंकलन कर वास्तविक रूप से वंचित/दोहरे आवंटनों में नियमानुसार भूखण्ड दिये जाने का प्रस्ताव तैयार कर जोनवार प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत करें।

बजट घोषणा के लम्बित भूमि आवंटन प्रकरण :–

- जिन प्रकरणों में अभी तक भूमि चिन्हीकरण नहीं किया गया है, जोन उपायुक्त संबंधित विभाग से समन्वय कर शीघ्र भूमि चिन्हीकरण करें।
- बजट घोषणा के जिन प्रकरणों में अभी तक संबंधित विभाग से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए भी प्रारम्भिक रूप से भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही कर ली जावे तथा जोन उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त (एलपीसी) के माध्यम से संबंधित विभाग को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने हेतु प्रपत्र प्रेषित करने हेतु भी लिखा जावे।
- नवीन पशु चिकित्सालय, विद्याधरनगर, (जोन–6), सहायक अभियंता कार्यालय विद्युत झोटवाडा, जयपुर 2000 व.मी. भूमि ग्राम हरनाथपुरा, अशोक विहार (जोन–7), राजकीय खेल स्टेडियम, जयसिंहपुरा खोर (जोन–10), बालिकाओं हेतु जयपुर में राजकीय आवासीय विद्यालय (जोन–10), सैनिक कल्याण विभाग को आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम हेतु (जोन–4) प्रस्तावों पर संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा भूमि चिन्हीकरण की

Signature valid

Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.19 16:47:41 IST
Reason: Approved

कार्यवाही कर ली जाना बताया गया। संबंधित जोन उपायुक्त नियमानुसार पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर भूमि आवंटन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आगामी एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत करें।

- जोन उपायुक्त–10 ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयसिंहपुरा खोर का प्रस्ताव राज्य सरकार को ईकोलोजिकल जोन में अनुमत गतिविधि की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त भूमि आवंटन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
- बजट घोषणा के सभी प्रकरणों में जिनमें जविप्रा द्वारा भूमि आवंटन किया जाना संभव है, के प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15.11.2024 तक एलपीसी की बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
- बजट घोषणा स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य (स्पोर्ट्स कॉलेज) (जोन–14) हेतु राज्य सरकार को नॉलेज सिटी साउथ चित्तौडा में भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया है। एक अन्य बजट घोषणा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना भी समान प्रकार की गतिविधि होने के कारण इस बजट घोषणा के लिए नॉलेज सिटी साउथ चित्तौडा में ही नजदीक की आवंटन योग्य भूमि चिन्हित की जाकर भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभाग को सहमति हेतु भिजवाया जावे।
- विभिन्न संबंधित जोन उपायुक्तों द्वारा बजट घोषणा सिंथेटिक ट्रैक निर्माण, सांगानेर हेतु भूमि उपलब्ध न होना बताया गया है। संबंधित विभाग को उपायुक्त (एलपीसी) के मार्फत इस आशय की सूचना प्रेषित की जावे।
- राजकीय महाविद्यालय, बनीपार्क हेतु क्षेत्र नगर निगम, ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में आने के कारण उक्त घ ोषणा हेतु नगर निगम ग्रेटर को पत्र द्वारा सूचित किया जावे।

अन्य निर्देशः–

- प्रायः यह देखा गया है कि एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव बैठक के दिन तक आते रहते हैं, जिससे उनका परीक्षण किया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः समस्त प्रस्ताव बैठक नियत होने से तीन दिन पूर्व एलपीसी प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करें, ताकि समय पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जा सके।
- बैठक हेतु प्रस्तावों के साथ जो नक्शा संलग्न किया जाता है, वो आवश्यक रूप से जविप्रा द्वारा अनुमोदित नक्शा ही होना चाहिए।
- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 21 स्थानों पर कार्यालय/ग्रिड स्टेशन हेतु भूमि आवंटन का निवेदन प्राप्त हुआ है, जिससे उपायुक्तगणों को अवगत करवा दिया गया है। सूची में उल्लेख अनुसार संबंधित जोन उपायुक्त इनमें शीघ्र भूमि चिन्हीकरण कर आगामी बैठकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्गए जयपुर302004
दूरभाषक्91.0141.2570122द्ध रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्7019द्ध रू फैक्स. 91.0141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in}

Signature valid
Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.19 13:47:41 IST
Reason: Approved

जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त / अभियांत्रिकी–I, II / नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट / संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature valid
Digitally signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.19 13:47:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11264259